

Office of the Accountant General (A&E), Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad - 500 004

PM/VI/2015-16/OG-GO/

.08 .2015

The Director of Treasuries and Accounts Andhra Pradesh 4th Floor Rajaram Building Tilak Road Abids HYDERABAD

Sir.

Sub: Grant of DR @ 113% from 1.1.15 to Uttarakhand pensioners whose pension is revised and 223% to those who are drawing pension in unrevised scales.

Ref:1. No Fin (GRC) Section-7 No./xxvii(7)/02/2010 dt 08.06.2015 from the Government of Uttarakhand

2. PA/Pen/DR/UK/2015-16/1257 dt 13.07.2015 from the Principal Accountant General, (A&E) Uttarakhand.

I am to enclose herewith copy of Govt. orders issued by the Uttarakhand Government and received under Special Seal Authority from the Principal Accountant General (A&E), Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Muhetes Sr. Accounts Officer

Copy to The Joint Director **HQR** Treasury Tilak Road, Abids HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून (ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248171) फोन नं0: 0135-2644967, फैक्स नं0: 0135-2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत"

पत्रांकः थी.ए./पेंशन /राहत/उत्तराखण्ड/2015-16/12 🗲

दिनांकः १३-५ - १८ -

प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

विषय:

उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत 01.01.2015 से बढ़े मंहगाई राहत के शासनादेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 91/xxvii(7)02/2010 दिनांक 08.06.2015 (दिनांक 01.01.2015 से 113% एवं 223%) को आपको इस आशय के नाथ्य प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि आपके राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहें उत्तराखण्ड राज्य के सभी पेंशनरों

को इसका लाभ मिल सकें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (1)

भवदीय.

158

उत्तराखण्ड शासन वित्त (तावनिव—वेवआव)अनुमाग—7 संख्या— / XXVII(7)02 / 2010 देहराष्ट्रन: दिनांबर्रुठ भूति 2015

कार्योलंय ज्ञाप

राज्य सरकार के पुनरीक्षित / अपुनरीक्षित पँशन प्राप्त करने याज़े सिनिल / पारिकारिस पँशनरों आदि को मठनाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषद पर अयोक्ताक्यों को यह कहने का निरंश हुआ है कि किस (वेक्सार-सामिक) अनुम-न के कार्यात्य ज्ञाप संख्या- 251 / XXVII(7)02 / 2012, दिनोंक 20. अक्टूबर, 2014 से नंबनाई सहत पुनरीकित पैरान 107 प्रतिशत तथा अयुनरीकित पैरान 107 प्रतिशत तथा अयुनरीकित पैरान 107 प्रतिशत तथा अयुनरीकित पैरान 107 प्रतिशत की अनुमन्य किसा गया है, के क्रम में राज्य सरकार है समस्य उपरोक्त सल्लिखित पैरानरों के तिये उपमोक्ता मृत्य सुचकांक में दूई युद्धि की प्रतिपृत्ति हेतु उनत कार्याकर ज्ञाप हिनांक 20 अक्टूबर, 2014 हे सिलाखित दरों को पुनरीकित करते हुए दिनांक 01 जनस्वी, 2015 से क्रम्मा 113 प्रतिशत एवं 223 प्रतिशत की दूर से महनाई चारत दिये जाने की भी राज्यपास महोदय सहर्थ स्तीकृति प्रदान करते हैं।

- यह पाई चहत की ऐसी बनराशि को एक लपमें से गुणांक मैं आनिमत होनी, उसे अगसे कपमें मैं पुणांकित कर दिया जाय।
- यह आदेश माठ उच्च च्यायालय के न्यायामीशा सोक सेवा आयोग के अच्च्या तथा तरस्या, स्थानीय निकायां उच्या सार्वजनिक चपक्रम आदि के लिविल/पादियारिक पेंशनरीं पर लागू नहीं होंगे, उनके तस्वन्य में सम्मन्यित विभागों हारा जलग से आवेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 4. यह आदेश शिक्षा/प्राथिविक विक्रा विभाग के अधीन राज्य निचि से सहायशा प्राप्त शिक्षण जरूशकों के ऐसे शिक्षिक एथं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों, के सनान पेंशन/ पारिचारिक पंशन अनुमन्य है, पर भी लागूं होंगे।
- 5. सासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए—1—252 / दस्त / 10(3)—81. दिनांक 27 अप्रैल, 1882 में निर्गत आदेशानुसार पेशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुगतान के लिये मद्यालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकारा नहीं है। अतः स्वीकृत मंत्रगाई राहत क्षा मुगागन कक्त कार्यालय ज्ञाप के ज्ञांने कर दिया जाय।
- संहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इसके पूर्व निर्गत शास्त्रनादेशों में निर्धारित थे, संधावत् लागू खेंगे।

Government of Uttarakhand

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No /XXVII(7)02/2010
Dehradun: Dated 8 3 3 3 2015

Office Memorandum

Subject:- Grant of Denrness Relief to State Government Revised/Pre revised Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office-memo No-251/xxvii(7)02/2013, dared: 20 Oct, 2014 on the subject mentioned above sanctioning of Dearness Relief for revised pension at the rate of 107% and for unrevised pension at the rate of 212% with effect from 01-07-2014 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all as above subject pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 113% and 223% respectively with effect from 01 Jan, 2015, in supersession of the rates mentioned in the O.M. 20 Oct, 2014 referred as above.

- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.
- 3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chalman and Members of Urtarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.
- 4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension and pension is at per with the pensioners of the state Covernment.
- 5. As per orders Issued in Om No-A-1-252/Ten/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment; of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in cartier Government orders shall remain applicable as usual.

(मास्करानन्द संचिव।

(Bhaskamnand). Secretary

नियम

Prints

_-